

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.07.2026

□थाना अलीनगर व आरपीएफ टीम का संयुक्त कार्यवाही में 27.36 लीटर अवैध शराब बरामद कर 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर के नेतृत्व में थाना अलीनगर व आरपीएफ टीम का संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना के आधार पर लोको कालोनी स्थित लोको ग्राउण्ड के पास से पिट्टू बैक व झोला में लिये 06 मैजिक मोमेन्ट अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 88 आफ्टर डार्क टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक मात्रा 180 ML व 39 सिग्नेचर टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML कुल मात्रा 27.36 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। जिनकी पहचान 1. राजेश चौधरी पुत्र स्व० सहदेव चौधरी निवासी रामपुर भिखारी वार्ड नं 14 थाना कोतवाली जिला मुंगेर(बिहार) उम्र 39 वर्ष 2. छोटू कुमार पुत्र विलास यादव निवासी वार्ड नं 05 मुर्गियाचक थाना सारे जिला नालंदा (बिहार) उम्र 23 वर्ष 3. विकास कुमार पुत्र रामजीत सिंह निवासी वार्ड नं 09 फजलगंज थाना सासाराम जिला रोहतास (बिहार) उम्र 29 वर्ष 4. चन्द्रभान मिश्र पुत्र स्व० रामबचन मिश्रा निवासी वार्ड नं 03 अघैला मिश्र थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार) उम्र 58 वर्ष के रूप में हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आदर पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 431/2026 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध शराब को आस-पास के शराब ठेको से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीद कर इकट्ठा कर बिहार में शराब बन्दी के कारण ट्रेनो के माध्यम से बिहार में ले जाकर ऊँचे दामों पर बेचते हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता है तथा प्राप्त आय से अपना-अपना शौक पूरा करते हैं तथा आज भी हम लोग शराब लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश चौधरी पुत्र स्व० सहदेव चौधरी निवासी रामपुर भिखारी वार्ड नं 14 थाना कोतवाली जिला मुंगेर(बिहार) उम्र 39 वर्ष
2. छोटू कुमार पुत्र विलास यादव निवासी वार्ड नं 05 मुर्गियाचक थाना सारे जिला नालंदा (बिहार) उम्र 23 वर्ष
3. विकास कुमार पुत्र रामजीत सिंह निवासी वार्ड नं 09 फजलगंज थाना सासाराम जिला रोहतास (बिहार) उम्र 29 वर्ष
4. चन्द्रभान मिश्र पुत्र स्व० रामबचन मिश्रा निवासी वार्ड नं 03 अघैला मिश्र थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार) उम्र 58 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 431/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

बरामदगी का विवरण-

06 मैजिक मोमेन्ट अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 750 ML, 88 आफ्टर डार्क टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक मात्रा 180 ML व 39 सिग्नेचर टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML कुल मात्रा 27.36 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।